न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 03/22

GCMS NO-2022/78 सन् 2022

बउनवानीः—1. सत्यनारायण पुत्र दामोदर ब्राहामण नि0शिवाड तहसील चौथ का. बरवाडा
2. रामजीलाल पुत्र दामोदर ब्राहामण नि0शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सत्यप्रकाश पुत्र रामस्वरूप पण्डा जाति ब्रहामण
2. कमलेश पुत्र रामस्वरूप पण्डा जाति ब्रहामण
3. श्रीमति लाड पुत्री रामस्वरूप पण्डा जाति ब्रहामण
4. शारदा पुत्री रामस्वरूप पण्डा जाति ब्रहामण
5. शकुन्तला पुत्री रामस्वरूप पण्डां जाति ब्रहामण
6. निरमला पुत्री रामस्वरूप पण्डा जाति ब्रहामण
7. त्रिलोकचन्द पुत्र दामोदर ब्राहामण समस्त नि0शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा
8. तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 354 दिनांक 28.02.2022 वाके ग्राम कवंरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः—1. श्री राधेश्याम वैष्णव — वकील अपीलान्टगण
2.श्री मुकेश बंसल — वकील रेस्पो0 संख्या 7

—: निर्णय :— दिनांक 6.8.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 354 दिनांक 28.02.2022 वाके ग्राम कवंरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 बावजूद तामील नोटिस उपस्थित नही हुऐ। अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील अपीलान्ट एवं रेस्पो.संख्या 6 की सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्टगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 7 ने एक वाद संख्या 192/2011(194/2009) न्यायालय सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर मे पेश किया था जिसमे अपीलाधीन भूमि जो मथुरालाल पुत्र बेजनाथ के नाम खातेदारी मे दर्ज है तथा अपीलान्ट मृतक मथुरालाल के खास भतीजे दामोदर लाल के पुत्र है तथा मृतक मथुरालाल अपीलान्ट का बाबा लगता था उक्त मथुरालाल की मृत्यु के उपरान्त उसका कियाकर्म एवं द्वादशां आदि अपीलान्ट ने ही किये थे। इस प्रकार मृतक मथुरालाल की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर अपीलान्ट ही काबिज है तथा अपीलाधीन भूमि की फर्जी वसीयत गंगादेवी ने गोविन्दी के पक्ष में दिनांक 19.5.1972 को मृतक मथुरालाल की विधवा बताते हुए मथुरालाल की भूमि की वसीयत की थी तथा दूसरी वसीयत गंगादेवी जो वास्तव में मृतक काडूराम की पत्नि थी ने दिनांक 14.12.1977 को गोविन्दी के पक्ष में वसीयत करा दी, दोनो वसीयतों मे बतायी हुई सम्पति गंगादेवी की स्वअर्जित [illegible] नही है [illegible]वी को किसी दूसरे की सम्पत्ति की वसीयत करने का कोई विधिक अधिकार नही था [illegible] दोनो वसीयतो को निरस्त कराने का दावा पेश किया था जो अति0 सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर [illegible] सुनवायी हेतु स्थानान्तरित कर दिया तथा अपीलान्ट का उक्त वाद पत्र खारिज [illegible] जिसके विरूद्ध न्यायालय [illegible]जे. सवाईमाधोपुर के यहॉ अपील संख्या 10/2018 पेश की जो न्यायालय डी.जे.. सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 30.11.2018 को स्वीकार कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर उक्त दोनो वसीयत गंगादेवी

(कान्हा राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा गोविन्दी के पक्ष मे की थी अपीलान्ट को उसका उत्तराधिकारी मानते हुए मृतक मथुरालाल की सम्पत्ति की हद तक दोनो वसीयत निरस्त की थी तथा अपीलान्ट का वाद पत्र डिक्री किया था। इस प्रकार माननीय डी.जे.कोर्ट सवाईमाधोपुर के निर्णय एवं डिक्री की पालना में मृतक मथुरालाल की भूमि का नामान्तरकरण विधि अनुसार अपीलान्ट तथा रेस्पा0 संख्या 7 के नाम खोलना चाहिए था उसके उपरान्त इस तथ्य को अनदेखा कर आदेश जैर अपील अवैधानिक रूप से पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि उक्त नामा0 तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवांयी एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया एवं रेस्पो. संख्या 1 लगायत 6 से मिलकर चुपचाप गोपनीय तरीके से आदेश ज़ेर अपील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के नाम गलत तरीके से तस्दीक कर दिया है। माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा अपील संख्या 10/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 30.11.2018 अधीनस्थ न्यायालय की पूर्ण जानकारी मे होने के बावजूद भी माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को अनदेखा कर अवैधानिक तरीके से अपना निर्णय पारित किया गया है। आदेश जैर अपील जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा के पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 7 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत नही है क्योकि आदेश जैर अपील अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 6 व रेस्पो0 संख्या 7 के नाम से ही तस्दीक होना चाहिए था उक्त नामा0 रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के नाम गलत एवं विधिविरूद्व तरीके से तस्दीक किया गया है जिसको खारिज फरमाया जाने बाबत वकील रेस्पो0 संख्या 7 द्वारा निवेदन किया गया है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा के जवाब/रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार अपीलान्ट द्वारा दीवानी वाद संख्या 10/2018 के विरूद्व न्यायालय जिला न्यायाधीश सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे अपील पेश की गयी जो दिनांक 30.11.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर मृतक गंगादेवी द्वारा दिनांक 19.5.1972 व 14.12.1977 को की गयी वसीयतो को मृथक मथुरालाल की सम्पत्ति की हद तक निरस्त की गयी है जिसकी पालना मे आदेश जैर अपील दर्ज फैसल किया गया है। अपीलान्ट के पूर्वज वेजनाथ के क्रमश तीन पुत्र बजरंगलाल, कालूराम, मथुरालाल थे अपीलान्टगण एवं रेस्पो0 संख्या 7 बजरंगलाल के वारिस है। गंगादेवी कालूराम की पत्नि एवं गोविन्दी कालूराम की पुत्री थी ,इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 कालूराम के वारिस होने के कारण कालूराम की विरासत का नामा0 रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के नाम खोला गया है। मथुरालाल लाओलाद फोत हो गया था तथा मथुरालाल की सम्पत्ति की सीमा तक वसीयत निरस्त हो जाने के कारण मथुरालाल की विरासत का उक्त नामा0 अपीलान्टगण के नाम दर्ज फैसल किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 354 दिनांक 28.02.2022) [illegible] रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 6.8.2025 को [illegible] सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:05 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner